

सेवा में,

अधिसारी अभियन्ता
विद्युत पारिषद खण्ड
उ०प्र०, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
निकट-१३२ के०वी० सब स्टेशन
भोपा रोड़ मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में १३२ के०वी० मुजफ्फरनगर-जानराठ लीलो भोपा (मोकरहेड़ी) लाईन के निर्माण हेतु ०.१९४४ हे० वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

सन्दर्भ:- प्रस्ताव सं०-FP/UP/Trans/26409/2017 आपका पत्रांक ११२७/E.T.D/वि०प०ख०/
MZN/मुजफ्फरनगर दिनांक ०४.०७.२०१७ ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रस्ताव का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो दिनांक ०५.०७.२०१७ को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव को अवलोकन/परीक्षण करने पर इसमें निम्नलिखित कर्मियों पाई गई।

- (१) प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं की गयी है। अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वो क्षेत्रीय वन अधिकारी मोरना (शुकरताल) से सम्पर्क स्थापित कर परियोजना में प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।
- (२) वन अधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर का सरलीकृत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। इसे प्राप्त कर संलग्न करें।
- (३) प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु धनराशि जमा करने की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
- (४) प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि जमा कराने हेतु वचनबद्धता संलग्न नहीं है। संलग्न करें।
- (५) यदि भविष्य में मा०उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा N.P.V की दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो बढी हुई दरों के अनुसार धनराशि जमा करने हेतु वचनबद्धता संलग्न करें।
- (६) परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि पर कोई कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र (वन संरक्षण अधिनियम १९८० के उल्लंघन न करने का) संलग्न करें।
- (७) विषयक पारिषद लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग-अलग सूची संलग्न करें।
- (८) परियोजना में मकडिस्पोजल प्लान संलग्न नहीं है। कृपया संलग्न करें।
- (९) परियोजना में विषय सूची, पृष्ठ संख्या एवं संलग्न संख्या अंकित नहीं है। कृपया उपरोक्त वर्णित समस्त अभिलेख संलग्न करते हुए इन पर पृष्ठ सं०/संलग्न सं० अंकित कर प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न करें।

(१०) परियोजना में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम वाली मोहर एवं तिथि अंकित नहीं है। कृपया प्रत पृष्ठ पर नाम वाली मोहर सहित ओरिजनल हस्ताक्षर अंकित करें।

(११) भू-स्वामित्व विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा वनाधि अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जारी सरलीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। कृपया उपरोक्तानुसार कर्मियों का निराकरण कर संशोधित सुसंगत प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित अग्रेसर किया जा सकें।

(संजीव कुमार द्वितीय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या १७

दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित

(संजीव कुमार द्वितीय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर